Request Of Gujarat For Higher Shares In Taxes Collected In The State

7397. SHRI R.P. YADAV : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Gujarat State had asked for increased allocation and a higher shares in the taxes collected by the Centre, higher Plan and non-Plan grants, merger of surcharge divisible pool ;

(b) If so, the detailed suggesstions made by the State Government in this regard ; and

(c) the reaction of the Centre and decision taken thereon ?

THT MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) No such Communication has been received by the Ministry of Finance from the State Government,

(b) and (c) Does not arise.

Subsidising Cotton Exports

7398. SHRI R. B. GAEKWAD : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether he is aware of the suggession of subsidising cotton exports ; and

(b) If so, the reaction and decision of Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter has been carefully considered and it has not been found possible to allow subsidy on voluntary export of cotton.

राज्यों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया जाना

7399. श्री नरसिंह मकवाना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है और उनकी कितनी शाखा खोली गई हैं ;

(ख) इन बैंकों ने कितने लोगों को ऋण दिया है और कितनी राशि ऋण के रूप में अब तक दी गई तथा उस पर ब्याज की दर क्या है ;

(ग) ग्रामीण बैंकों में ब्याज की अलग-अलग दरें रखने के क्या कारण हैं ;

(घ) अगले वर्ष ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है और वे शाखाएं किन राज्यों में खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उन राज्यों के नाम, जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं और उनके द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या विवरण I में दी गई है।

(ख) और (ग) सबसे ताजा सूचना के मुताबिक सितम्बर 1982 के अन्त की स्थिति के मुताबिक कार्यरत 121 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 35,03,497 ऋणकर्त्ता खातों में बकाया अग्रिम 499.35 करोड़ रुपए के थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने अग्रिमों पर ब्याज की वही दर वसूल करते हैं जो कि ऋणकर्त्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के वास्ते, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित की जाती है। ये दरें, विवरण II के विवरण में दी गई हैं।

(घ) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कमान क्षेत्र